

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, नाविक, अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

मूल खिड़की केवल हावप्रीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 723 दिनांक 01/10/2020

प्राथमिक अंतिम सुखेरा बाला w/o श्री ओम प्रकाश मान्यूर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2006 P. 210: 72 ग्राम सुखेरा खकरी संख्या

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय 129, "श्री ओम नगर" विस्तार योजना

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23782/- प्रमा

जरिये रसीद संख्या 9060/7944/7945

दिनांक 01/10/2020 को जमा करा दी है ।

पी + 1
आवासीय

जोधा

01/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Sushil Kumar
9829760423

Sushil
1-10-20